दिनांक–16 अक्टूबर, 2012 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में लिये गये निर्णय :–

अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग

1. प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत सरकारी, स्थायी मान्यता प्राप्त, तथा स्थापना अनुमति प्रस्वीकृत विद्यालयों में वर्ग–1 से 10 में अध्ययनरत अनु० जाति एवं अनु०जनजाति के छात्र/छात्रा को वर्ष 2012–13 में दिनांक–01.04.12 से 30.09.12 तक की अवधि में 75 प्रतिशत की उपस्थिति के आधार पर छात्रवृति दिये जाने एवं मुख्य मंत्री बालिका पोशाक योजना और मुख्य मंत्री बालक/बालिका साईकिल योजना के लिए निर्धारित दिशा–निर्देश के अनुसार छात्रवृत्ति का वितरण किये जाने की स्वीकृति।

1. स्वीकृत।

अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग

2. पश्चिमी चम्पारण जिला में 6 अनुसूचित जनजाति (थारू जनजाति सहित) आवासीय उच्च विद्यालयों के भवन निर्माण कार्य के लिए ₹ 13.75 करोड़ प्रति विद्यालय की दर से कुल ₹ 82.50 करोड़ (बेरासी करोड़ पचास लाख) की प्रशासनिक स्वीकृति एवं इस हेतु वर्ष 2012–13 में उपलब्ध अतिरिक्त उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अलोक में ₹ 35.00 करोड़ (पैंतीस करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

2. स्वीकृत।

विधि विभाग

4. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ट्रांसफर्ड केस (सिविल) नं०–22/2001 (बृजमोहन लाल बनाम भारत संघ एवं अन्य) में दिनांक–19.04.2012 को पारित न्यायादेश के आलोक में फास्ट ट्रैक कोर्ट को स्थायी रूप में संचालित किये जाने एवं गैर योजना मद में अस्थायी रूप से सृजित 219 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पदों में से 183 फास्ट ट्रैक कोर्ट के पदों तथा उच्च न्यायिक सेवा संवर्ग का 10 प्रतिशत पदों यथा 29 पदों अर्थात् कुल 212 पदों का सामंजन के आधार पर स्थायी किये जाने के फलस्वरूप इनके लिए आवश्यक अराजपत्रित वर्ग 3 एवं वर्ग 4 के कुल 1272 पदों को सामंजन के आधार पर स्थायी करने के संबंध में।

4. स्वीकृत।

सहकारिता विभाग

5.	प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्सों) को सामान्य व्यवसाय मुख्यतः उर्वरक का ऑफ सीजन में स्थानीय स्तर पर भंडारण एवं कारोबार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कृषि रोड मैप (2012–17) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में 3000 पैक्सों एवं वर्ष 2013–14 में 2000 पैक्सों को वर्ष 2012–13 में 60.00 करोड़ रूपये तथा वर्ष 2013–14 में 40.00 करोड़ रूपये कुल 100.00 करोड़ रूपये राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन०सी०डी०सी०) से 75% ऋण एवं 25% अनुदान के रूप में प्राप्त कर प्रति पैक्स 2.00 लाख रूपये (75% ऋण एवं 25% अनुदान) जिसमें ऋण राशि पर 4% सूद भारित होगा, मार्जिन मनी उपलब्ध कराने की योजना एवं वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2012–13 में 70.5387 करोड़ रू० बजट उपबंध हेतु बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम प्राप्त करने की स्वीकृति तथा वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2012–13 में प्राप्त बजट उपबंध एव उद्व्यय के अनुरूप व्यय की स्वीकृति।	5.	**स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

6.	राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों के फर्माकोलॉजी विभाग में सहायक–प्राध्यापक के पद पर कार्यरत चिकित्सक शिक्षकों को सह–प्राध्यापक के पद पर नियमित प्रोन्नति हेतु प्रस्ताव।	6.	**स्वीकृत।**

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

7.	वित्तीय वर्ष 2012–13 में बिहार उर्दू अकादमी के माध्यम से मदरसा इस्लामियॉ शमसुल होदा, पटना के स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शताब्दी समारोह के आयोजन हेतु बिहार उर्दू अकादमी को रू० 20,00,000/–(बीस लाख रूपये) मात्र बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम प्राप्त कर सहायक अनुदान–वेतनादि के अलावा मद में स्वीकृति करने के संबंध में।	7.	**स्वीकृत।**

गृह (विशेष) विभाग

8.	दिनांक–12.10.2012 को मधुबनी में उग्र भीड़ द्वारा हुई हिंसक घटनाओं और पुलिस फायरिंग की न्यायिक जाँच हेतु जाँच आयोग के गठन के संबंध में।	8.	**स्वीकृत।**